UPFR040171522026

Bail Application/2616/2026

State Government Vs. Subodh

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद फर्रुखाबाद

उ०प्र०राज्य बनाम सुबोध।

मुकदमा अपराध संख्या– 207 सन 2026

धारा– 305, 317(2), 317(4)बी०एन०एस०

थाना– नवाबगंज, जनपद फर्रुखाबाद।

दिनांक– 11–08–2026

1. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुबोध, मुकदमा अपराध संख्या– 207 सन 2026, अंतर्गत धारा– 305, 317(2), 317(4)बी०एन०एस०, थाना नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के प्रकरण में अभियुक्त सुबोध पुत्र रामनिवास निवासी बलीपुर भगवन्त थाना शमशाबाद, जिला फर्रूखाबाद की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है।
2. अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।
3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को उपरोक्त केस में महज झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कहीं भी चोरी नहीं की गयी है। अभियुक्त द्वारा कोई घटना घटित नहीं की गयी है। उक्त बिन्दुओ के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।
4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं दाखिल प्रपत्रों का अवलोकन किया।
5. प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 305, 317(2), 317(4)बी०एन०एस०, का आरोप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर बी पैक्स मंझना समिति से रात्रि में माइक्रोटेक कंपनी का इन्वर्टर व एक्साइड कंपनी का बैट्रा व डिजिटल हस्ताक्षर वाली पेन ड्राइव चोरी करने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति नितांत गम्भीर है तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः अपराध की प्रकृति एवं मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

Digitally signed by Yuguhul Shambhu
Date: 2026.08.11 16:56:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आदेश

6. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुबोध, मुकदमा अपराध संख्या– 207 सन 2026, अंतर्गत धारा– 305, 317(2), 317(4)बी०एन०एस०, थाना नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के प्रकरण में अभियुक्त सुबोध की ओर से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(युगल शम्भू)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फर्रुखाबाद। (UP2615)